

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ. 4(1)(194)पोषा/एसएचजी./ICDS/2013/201656-992 जयपुर, दिनांक: 27/11/18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषय:- पूरक पोषाहार हेतु स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत बिलों में जीएसटी के संबंध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत पूरक पोषाहार आपूर्ति हेतु स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत बिलों में जीएसटी के भुगतान संबंध में लेख है कि स्वयं सहायता समूहों को जीएसटी में पंजीयन करवाना/नहीं करवाना, उनके क्षेत्राधिकार में आता है। किसी भी क्रय पर वस्तु एवं सेवाकर की कटौती तभी होगी जब आपूर्तिकर्ता बिल में वस्तु एवं सेवाकर वसूल करेगा।

अतः वस्तु एवं सेवाकर मार्गदर्शिका के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों से पूरक पोषाहार हेतु प्राप्त बिलों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।


(सुषमा अरोड़ा)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ. 4(1)(194)पोषा/एसएचजी./ICDS/2013/201993 जयपुर, दिनांक: 27/11/18
प्रतिलिपि:- एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(जिजासा गौड)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)